संख्या-87/चौवालिस-1-88-25/उ0वे0रि0/88

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त उद्यमों/उपक्रमों/नोएडा/वीडा के
मुख्य कार्यकारी।

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

लखनऊ : दिनांक 24 जून, 1989

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (1987) तथा उस पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति के प्रतिवेदन में सरकारी सेवकों के लिए की गयी संस्तुतियों के आधार पर सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों/नियमों तथा कम्पनीज ऐक्ट 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत निगम/निकाय के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के संबंधित आर्टिकिल तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-41/1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय यह स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जिन सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश जमा करने की वर्तमान नियमों के अनुसार 180 दिन की अधिकतम सीमा है, को बढ़ाकर 240 दिन तक कर दिया जाय।

2- यह आदेश दिनांक 1 जनवरी, 1987 से प्रभावी होंगे।

3- अवकाश जमा करने की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें आदि वही रहेंगी जैसी कि समय-समय पर सरकारी सेवकों के लिए व्यवस्था की गयी है।

4- संबंधित सार्वजनिक उद्यम कृपया अपने सेवा नियमों में तद्नुसार संशोधन कर की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या-87 (1)/44-1-88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शासन के सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
2- शासन के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।
3- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (10 प्रतियों में)
5- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो।

आज्ञा से,
प्रेमशंकर
संयुक्त सचिव।